प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.स 110/23 दिनांक 9/5/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018),
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 194 समय 5:30 PM
   (2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 13.02.2023 समय दोपहर.
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 13.02.2023 समय 12.15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 365 किलोमीटर
   (2) पता – कार्यालय पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ के सामने ।
   .... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ......
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
   परिवादी
   (1) नाम : श्रीमती भावना जोशी
   (2) पिता का नाम : श्री गोवर्धन लाल जोशी
   (3) आयु : व्यस्क
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
   (6) व्यवसाय : .....
   (7) पता : निवासी ग्राम धमाना, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ ।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1. श्री महादेव होनाप्पनवर पुत्र श्री चन्नप्पा होनाप्पनवर उम्र 46 साल निवासी हिरहरकूंज तहसील कूंडागोल, जिला धारवाड़, कर्नाटक हाल सिविल हैड कानि0 नम्बर 1671 पुलिस थाना विधागिरी जिला धारवाड़, कर्नाटक ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	75000 रूपये	परिवादिया श्रीमती भावना

जोशी के पति श्री गोवर्धन लाल जोशी को पुलिस थाना विधागिरी के प्रकरण में गिरफ्तार नही करने की एवज में परिवादिया के परिचित श्री मदन लाल से 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं परिवादिया के परिचित श्री मदन लाल द्वारा कुछ राशि कम करने की कहने पर आरोपी द्वारा 75000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर लेने हेतु सहमत होना ।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 13 फरवरी वर्ष 2023 को समय 12.15 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक श्री दया लाल चौहान, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ ने परिवादीया श्रीमती भावना जोशी पत्नि श्री गोवर्धन लाल जोशी निवासी ग्राम धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ से जरिये मोबाईल वार्ता कर ब्यूरों जाप्ता श्री जितेन्द्र सिंह कानि0, श्री मान सिंह कानि0, मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक जयराम कानि0 मय डिजीटल टेप रिकार्डर के गांव धमाणा कपासन की ओर रवाना होकर समय 01.20 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता रवानाशुदा ग्राम धमाणा पहूंचे जंहा परिवादीया श्रीमती भावना जोशी अपने परिचित श्री मदन लाल गाडरी के साथ अपने निवास पर उपस्थित मिली जिसको पुलिस निरीक्षक ने अपना व अपने जाप्ते का परिचय दिया और आने का मन्तव्य जाहिर किया जिस पर परिवादीया श्रीमती भावना जोशी ने स्वंय एक हस्त लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया की, "मैं भावना जोशी पत्नि श्री गोवर्धन लाल जोशी निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ कि रहने वाली होकर मेरे पुत्र अर्पित जोशी की शादी ऐजेंट के मार्फत कनार्टक में जिला धारवाड ग्राम नवलूर की रहने वाली अक्षिता से हुई थी, जिस पर मेरे पुत्र अर्पित व अन्य के खिलाफ अक्षिता की मां प्रेमा ने थाना विद्यागिरी में मुकदमा दर्ज कराया जिस पर मेरे पुत्र अर्पित को दिनांक 18.12.2022 को थाना विद्यागिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर ले गये जिसकी कोर्ट से जमानत हुई है और आज दिनाक 13.02.2023 को कोर्ट में पेशी होने से मेरा पुत्र अर्पित जिला धारवाड कनार्टक गया हुआ है, इसी मुकदमें में थाना विद्यागिरी पुलिस से महादेव व एक अन्य पुलिसकर्मी थाना कपासन पर आकर मुझे व मेरे पति गोवर्धन लाल को गिरफ्तार करने की धमकी देकर एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं रिश्वत राशि नही देकर उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहती हूं । मेरी महादेव व एक अन्य पुलिसकर्मी जो विद्यागिरी थाने से आये उनसे कोई आपसी रंजीश नही है न ही कोई लेन देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करें।"

इस पर पुलिस निरीक्षक ने ब्यूरो के कानि0 जितेन्द्र सिंह से परिवादीया व उनके परिचित श्री मदन लाल गाडरी का परिचय करवाया जाकर श्री जितेन्द्र सिंह कानि को डिजीटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर निर्देश दिये कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही कर अवगत करावें। परिवादी को भी इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश देकर पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता समय 1.50 पीएम पर रवाना होकर समय 03.15 पी.एम. चित्तौड़गढ़ पहूंचा । इसके उपरान्त समय 03.35 पी.एम पर कानि0 श्री जितेन्द सिंह ने पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि डिजीटल टेप रिकॉर्डर में परिवादीया श्रीमती भावना जोशी के परिचित श्री मदन लाल गाडरी व विद्यागिरी थाने के संदिग्ध पुलिस कर्मचारी श्री महादेव से हुई वार्ता को रिकॉर्ड कर लिया गया है जिसमे विद्यागिरी थाने के संदिग्ध पुलिसकर्मी महादेव ने एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग पुलिस थाना कपासन एवं थाना परिसर के बाहर चलते हुए की है, जिस पर पुलिस निरीक्षक ने कानि0 जितेन्द्र सिंह को मय डिजीटल टेप रिकार्डर के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश दिये। समय 06.15 पी.एम पर कानि0 जितेन्द्र सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर पुलिस निरीक्षक को डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया की परिवादीया श्रीमती भावना जोशी के परिचित श्री मदन लाल गाडरी के साथ मांग सत्यापन हेतु कपासन थाने के आस पास पंहुच डिजीटल टेप रिकार्डर देकर परिवादीया के परिचित श्री मदन लाल को समय 02.25 पीएम पर रवाना किया जिस पर श्री मदन लाल समय 03.15 पीएम पर पुनः मेरे पास पंहुच डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया की मैनें विद्यागिरी थाने के महादेव से हुई वार्ता को रिकॉर्ड कर लिया है, तथा उक्त वार्ता में विद्यागिरी थाने के पुलिसकर्मी महादेव ने 100000/- रूपये रिश्वत की मांग की है जिस पर श्री मदन लाल द्वारा हाथा जोडी करने व रिश्वत राशि कम करने कि कहने पर 75000 रूपये रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ है तथा साथ ही बताया कि उक्त वार्ता पुलिस थाना कपासन एवं थाना परिसर के बाहर हुई है । इसके पश्चात् उक्त रिकॉर्ड शुदा वार्ता को पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो संदिग्ध पुलिसकर्मी श्री महादेव विधागिरी थाने के द्वारा रिश्वत मांग जाने की पुष्टि हुई। डिजीटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। तत्समय परिवादी को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये लेकर दिनांक 14.02.2023 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ़ पर उपस्थित होने के सम्बन्ध में निर्देश दिये ।

दिनांक 14.02.2023 समय 10.30 ए.एम पर परिवादीया श्रीमती भावना जोशी अपने परिचित श्री मदन लाल गाडरी के साथ ब्यूरों कार्यालय पर स्वंय उपस्थित आये जिन्हे ब्यूरों कार्यालय के कक्ष में बिठाया गया और तलब शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री श्याम सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति राजपुत उम्र 46 वर्ष निवासी–10, तिलक नगर–4 (हाउसिंग बोर्ड के पास) हाल अध्यापक राजकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाडी लौहार प्रतापनगर जिला चित्तोडगढ एंव श्री नारायण लाल पुत्र श्री बद्री लाल भाट जाति भाट उम्र 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 291, सेक्टर–4 गांधी नगर चित्तौडगढ हाल व्याख्याता महात्मा गांधी राजकिय विद्यालय नन्देरिया ब्यूरों कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिन्हे भी ब्यूरों कार्यालय कक्ष में बैठाया था, जिस पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादीया श्रीमती भावना जोशी व उनके परिचित श्री मदन लाल गाडरी को स्वतन्त्र गवाहन से परिचय करवाकर परिवादीया श्रीमती भावना जोशी द्वारा पेश रिपोर्ट दोनो स्वतन्त्र गवाहन पढाई जाकर रिपोर्ट पर दोना स्वतन्त्र गवाहन के हस्ताक्षर करवाये थे । तत्पश्चात् परिवादीया श्रीमती भावना जोशी व उनके परिचित श्री मदन लाल गाडरी को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया, जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादीया श्रीमती भावना जोशी व परिचित श्री मदन लाल गाडरी को सुना और पुलिस निरीक्षक को अग्रीम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था । इसके उपरान्त श्रीमती भावना जोशी ने बताया कि वह अभी 75000 हजार रूपये की व्यवस्था नही कर पाई है तथा कुछ रकम कम हो जाये और रिश्वत राशि कहां देनी है ? के बारे में श्री महादेव से बात हो जाये, इस पर श्रीमती भावना जोशी के मोबाईल नम्बर 89529-57813 से श्री महादेव के मोबाईल नम्बर 70191–49170 पर समय करीब 11.26 ए.एम. पर वार्ता करवाई गई थी, उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया था । श्रीमती भावना जोशी के बताये अनुसार श्री महादेव के मोबाईल नम्बर 70191–49170 के बारे में पता किया तो उक्त मोबाईल नम्बर को Truecaller. App पर डालकर देखा गया तो App ने बताया कि उक्त मोबाईल नम्बर Mahadevappa. Honnapanavar. Karnataka. India के नाम पर होना ज्ञात हुआ । मोबाईल पर करवाई गई वार्ता श्रीमती भावना जोशी एवं श्री मदन लाल दोनो ने बताया कि यह आवाज श्री महादेव की है तथा यह पहले भी उनके घर पर आ चुका है तथा कई बार इससे फोन पर पहले भी बात हो चुकी है । इसलिये हम इसकी आवाज को पहचानते है ।

इसके उपरान्त दिनांक 14.02.2022 को समय 11.26 ए. एम पर परिवादीया श्रीमती भावना जोशी के मोबाईल नम्बर 89529–57813 से संदिग्ध विद्यागिरी थाने के पुलिस कर्मी महादेव के मोबाईल नम्बर 70191–49170 पर श्री मदन लाल गाडरी व संदिग्ध पुलिसकर्मी महादेव के मध्य रिश्वत राशि के सम्बध में वार्ता कराई तथा उक्त वार्ता तीनों के मध्य हुई थी ।

इसके पश्चात् समय करीब 11.31 ए.एम पर परिवादीया श्रीमती भावना जोशी के मोबाईल नम्बर 89529–57813 से संदिग्ध पुलिसकर्मी श्री महादेव विद्यागिरी थाने के मोबाईल नम्बर 70191–49170 पर श्रीमती भावना जोशी व उनके परिचित श्री मदन लाल गाडरी व संदिग्ध पुलिस कर्मी महादेव के मध्य रिश्वत राशि के सम्बध में वार्ता कराई तथा उक्त वार्ता तीनों के मध्य हुई थी ।

इसके उपरान्त समय 11.41 ए.एम पर परिवादीया श्रीमती भावना जोशी के परिचित श्री मदन लाल के मोबाईल नम्बर 9649444675 से संदिग्ध विद्यागिरी थाने के पुलिस कर्मी महादेव के मोबाईल नम्बर 70191–49170 पर दोनो के मध्य रिश्वत राशि के सम्बध में वार्ता कराई गई थी ।

इसके उपरान्त समय 11.57 ए.एम पर परिवादीया श्रीमती भावना जोशी के परिचित श्री मदन लाल के मोबाईल नम्बर 96494–44675 से संदिग्ध विद्यागिरी थाने के पुलिस कर्मी महादेव के मोबाईल नम्बर 70191–49170 पर दोनो के मध्य रिश्वत राशि के सम्बध में वार्ता कराई गई थी ।

इसके पश्चात् कुछ समय बाद श्री मदन लाल गाडरी के मोबाईल नम्बर 96494–44675 पर विद्यागिरी थाने के पुलिस कर्मी श्री महादेव ने अपना मोबाईल नम्बर 70191–49170 से टेक्स्ट मेसेज करके कपासन थाने के श्री नन्द लाल पुलिस कर्मी के मोबाईल नम्बर 87840–62106 भेजे जिस पर समय करीब 12.23 पी.एम. पर परिवादीया श्रीमती भावना जोशी के परिचित श्री मदन लाल गाडरी के मोबाईल नम्बर 96494–44675 से पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ के पुलिस कर्मी श्री नन्द लाल के मोबाईल नम्बर 87840–62106 पर वार्ता कराई गई थी । ।

इसके उपरान्त श्री मदन लाल गाडरी एवं श्री नन्दलाल पुलिसकर्मी पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ के मध्य वार्ता के पश्चात् पुनः परिवादिया श्रीमती भावना जोशी के परिचित श्री मदन लाल गाडरी के मोबाईल नम्बर 96494–44675 से संदिग्ध श्री महादेव के मोबाईल नम्बर 70191–49170 पर समय करीब 12.27 पी.एम पर दोनो के मध्य रिश्वत राशि के सम्बध मे वार्ता कराई गई थी ।

दिनांक 14.02.2023 को करवाई गई सम्पूर्ण वार्ताओं को नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाकर दिनांक 13.02.2023 हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं 14.02.2023 को करवाई गई समस्त रिश्वत मांग से सम्बन्धित वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहन एवं अन्य सभी सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये थे । तत्पश्चात् उक्त वार्ताओं की सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाकर मूल सी.डी. एव डब सीडी पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीया व अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मूल सी.डी. को सिलचिट किया गया दोनों सी.डी. को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने मे रखवाया गया ।

इसके उपरान्त समय 05.40 पीएम पर परिवादीया श्रीमती भावना जोशी के परिचित श्री मदन लाल गाडरी द्वारा ACE कम्पनी का मोबाईल जिसमें श्री मदन लाल गाडरी के मोबाईल नम्बर 96494–44675 पर संदिग्ध पुलिसकर्मी महादेव के मोबाईल नम्बर 70191–49170 द्वारा टेक्स्ट मेसेज करके संदिग्ध कपासन थाने के पुलिसकर्मी श्री नन्द लाल के मोबाईल नम्बर 87840–62106, भेजे जाने से उक्त मोबाईल कि कार्यवाही में वजह सबुत होने से श्री मदन लाल गाडरी द्वारा मोबाईल पेश किये जाने से उक्त पेश शुदा मोबाईल कि फर्द पेशकशी मुर्तिब कर दोनो स्वतन्त्र गवाहन एंव सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेश शुदा मोबाईल को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर कपडे की थेली को सील्ड कर कपडे की थेली पर सम्बधीतो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरों लिया गया। समय 06.10 पीएम पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादीया श्रीमति भावना जोशी, परिवादीया के परिचित श्री मदन लाल गाडरी तथा संदिग्ध श्री नंदलाल कपासन थाना के पुलिसकर्मी व संदिग्ध श्री महादेव विधागिरी थाना के पुलिसकर्मी के मध्य दिनांक 13.02.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 14.02.2023 का समय 11.26 ए.एम, 11.31 ए.एम, 11.41 ए.एम, 11.57 ए.एम, 12.23 पी.एम व 12.27 पी.एम को हुई रिश्वत के सम्बध मे 06 मोबाईल वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजीटल टेप रिकार्डर में उपयोग लिया गया ADATA कम्पनी का सरकारी मूल माईक्रो एस.डी मेमोरी कार्ड जो 16 जीबी का है जिसमें उपरोक्त वार्ताएं रिकॉर्ड है, को कागज के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफ को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर कपडे की थेली को सील्ड कर मार्क "एम" अंकित कर कपडे की थेली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द अलग से मुर्तिब कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.00 पी.एम पर पुलिस निरीक्षक मय परिवादीया की रिपोर्ट, रनिंग नोट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्तशुदा आर्टिकल सहित पत्रावली के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हो कार्यवाही के संबंध में हालात निवेदन किये। तत्पश्चात दिनांक 28.02.2023 समय 11.25 ए.एम पर पुलिस निरीक्षक ने प्रकरण की परिवादीया श्रीमति भावना जोशी से जरिये मोबाईल संपर्क किया तो परिवादीया श्रीमति भावना जोशी ने बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री महादेव विधागिरी थाने का पुलिसकर्मी अब मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये कॉल नहीं कर रहा है और ना ही किसी प्रकार से सम्पर्क कर रहा है। जिस पर उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श कर रंगे हाथों पकडे जाने की संभावना कम होने के कारण अब आगे की ट्रेप संबंधी कार्यवाही होने की संभावना नहीं है। अतः रिपोर्ट तैयार कर अग्रिम आदेश हेतु ब्यूरो मुख्यालय पर प्रेषित की गई थी ।

इस प्रकार श्री महादेव होनापनवर पुत्र श्री चन्नापा होनापनवर उम्र 46 साल निवासी हिरहरकूंज तहसील कुंडागोल, जिला धारवाड, कर्नाटक हाल सिविल हेड कानि0 नम्बर 1671 पुलिस थाना विधागिरी जिला धारवाड, कर्नाटक (भारत) द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एव अवैध तरीके से दिनांक 13.02.2023 को परिवादिया श्रीमती भावना जोशी के पति श्री गोवर्धन लाल जोशी को पुलिस थाना विधागिरी के प्रकरण में गिरफ्तार नही करने की एवज में परिवादिया के परिचित श्री मदन लाल से 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं परिवादिया के परिचित श्री मदन लाल द्वारा कुछ राशि कम करने की कहने पर आरोपी द्वारा 75000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर लेना हेतु सहमत होना तथा दिनांक 14.02.2023 को भी श्री महादेव पुलिसकर्मी पुलिस थाना विधागिरी जिला धारवाड, कर्नाटक व

परिवादीया श्रीमति भावना जोशी एवं परिवादीया के परिचित श्री मदन लाल गाडरी के मध्य मोबाईल पर वार्ता हुई तथा वार्ता के दौरान की श्री महादेव द्वारा रिश्वत राशि किसी अन्य को फोन पे करने के सम्बन्ध में बताता है, जिस पर उक्त उक्त वार्ता को भी ब्यूरो डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया था । इस प्रकार दिनांक 13.02.2023 एवं 14.02.2023 की वार्ता अनुसार श्री महादेव हैड कानि0 पुलिस थाना विघागिरी जिला धारवाड, कनार्टक द्वारा रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है जो कि जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री महादेव होनाप्पनवर पुत्र श्री चन्नाप्पा होनाप्पनवर उम्र 46 साल निवासी हिरहरकूंज तहसील कूंडागोल, जिला धारवाड, कनार्टक हाल सिविल हैड कानि0 नम्बर 1671 पुलिस थाना विघागिरी जिला धारवाड, कनार्टक (भारत) के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तौडगढ़

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सान्दू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महादेव होनाप्पनवर पुत्र श्री चन्नप्पा होनाप्पनवर, हैड कानि. नम्बर 1671, पुलिस थाना विद्यागिरी जिला धारवाड, कनार्टक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 110/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.5.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 834-37 दिनांक 9.5.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. पुलिस आयुक्त हुब्बली, धारवाड़ सिटी, कर्नाटक।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

9.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।